लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.कर्मी/ए/155/1117 भोपाल, दिनॉक 3.07.018

प्रति,

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

2. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।

3. ~~समस्त~~ प्राचार्य, शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालय, मध्यप्रदेश।

विषयः– दिनांक 01.01.2016 से अध्यापक संवर्ग को स्वीकृत 6वें वेतनमान के देय एरियर की प्रथम किश्त के भुगतान के संबंध में।

संदर्भः– म.प्र.शासन,नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 4–113/2013/18–1 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं म.प्र.शासन,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,भोपाल का आदेश क्रमांक एफ–1–31/2013/22/पं–2 भोपाल दिनांक 07.07.2017

संदर्भित आदेशों से अध्यापक संवर्ग को दिनांक 01.01.2016 से स्वीकृत किए गए 6वें वेतनमान के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश की कंडिका–8 के अनुसार अध्यापक संवर्ग को 6वां वेतनमान दिनांक 01.01.2016 से देय है। जुलाई, 2017 का वेतन जो अगस्त 2017 से नगद भुगतान की व्यवस्था थी तथा दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की राशि का भुगतान 3 किश्तों में क्रमशः वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 में किये जाने के प्रावधान हैं। इन निर्देशों के परिपालन में अध्यापक संवर्ग को 6वें वेतनमान के देय एरियर की कुल राशि की प्रथम किश्त का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 तक किया जाना है।

2. उपरोक्त के परिपालन में निर्देशित किया जाता है कि, आपके अधीनस्थ कार्यरत् अध्यापकों के नियामानुसार किए गए वेतन निर्धारण के अनुमोदन की प्रविष्टि संदर्भित आदेश की कंडिका–9 में किए गए प्रावधान अनुसार कराते हुए दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 30.06.2017 तक की देय 6वें वेतनमान की एरियर राशि की गणना की जाये तथा गणना उपरांत कुल राशि की 3 किश्तें निर्धारित की जाकर प्रथम किश्त का नियमानुसार भुगतान किया जाये।

वेतन निर्धारण का अनुमोदन देय एरियर की कुल राशि की गणना तथा 3 किश्तों की प्रविष्टी सेवा पुस्तिका में किया जाना अनिवार्य है। इसके उपरांत ही प्रथम किश्त का भुगतान किया जाकर तदाशय की प्रविष्टी भी सेवा पुस्तिका में की जाना सुनिश्चित की जाये। एरियर भुगतान के पूर्व संदर्भित आदेश की कंडिका–5 में उल्लेखित प्रावधान के पालन की स्थिति की पुष्टि के लिए "आहरण संवितरण अधिकारी" उत्तरदायी होंगे।

6वें वेतनमान की देय प्रथम किश्त का भुगतान उसी मद से किया जावेगा जिस मद से अध्यापक संवर्ग के वेतन भत्तों का आहरण किया जा रहा है। वर्तमान में इस मद में पर्याप्त बजट आवंटन उपलब्ध है।

3/7/18
(अंजु पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक / शि.कर्मी / ए / 155 / 1118 भोपाल, दिनॉक 3.07.018

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
5. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, म.प्र.शासन भोपाल।
7. आयुक्त, जन जाति कार्य विभाग, भोपाल।
8. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
9. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश ।
10. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।
11. संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, म.प्र.भोपाल।
12. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
13. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम मध्यप्रदेश।

3/7/18
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश